

क्रमांक 28/04/23 को पेश हो।

28/04/23

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
तहसीलदार, कि. रेनवाल द्वारा प्रस्तुत जवाब
शा. सि. किया गया। प्रा. पत्र धारा 136 पर बहस
सुनी गई। पत्रावली, पत्रावली पर उपस्थित
दस्तावेज व न्याय के सुसंगत प्रावधानों का
अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।
प्रा. पत्र धारा 136 शामिल होने पर स्वीकार किया
जाकर खुले न्यायालय में विस्तृत निर्णय पृथक से
वैकित करवाया जाकर सुनाया गया। इस हेतु
तहसीलदार, कि. रेनवाल को सूचनाएँ व पालनएँ
तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो की
बंजर हो कम होकर दारिद्र्य दफतर हो।

उपरबण्ड अधिकारी
साँभर लेक

